रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 84] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 22, 2010/फाल्गुन 3, 1931

No. 84] NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 22, 2010/PHALGUNA 3, 1931

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 फरवरी, 2010

सा.का.नि. 96(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेल दावा अधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का 54) की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रेल दावा अधिकरण (प्रक्रिया) नियम, 1989 में और संशोधन के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात्:—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—इन नियमों का संक्षिप्त नाम रेल दावा अधिकरण (प्रक्रिया) संशोधन नियम, 2010 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. रेल दावा अधिकरण (प्रक्रिया) नियम, 1989 के नियम 5 के अधीन प्ररूप 2 के भाग 3 में, एक नया कॉलम 13(क) (i) दावाकर्त्ता का बैंक खाता संख्या, (ii) बैंक का नाम और शाखा, (iii) खाते की किस्म, अंत:स्थापित किया जाएगा।

[फा. सं. 2007/टीसी (आरसीटी)/1-6]

सुनील कुमार, सलाहकार, लोक शिकायत

पाद टिप्पण:—मूल नियम अधिसूचना सं. सा.का.नि. 842 (अ), तारीख 19-9-1989 द्वारा प्रकाशित किए गए थे तथा तत्पश्चात् सा.का.नि. 700 (अ), तारीख 26-11-1991, सा.का.नि. 438 (अ), तारीख 21-4-1992, सा.का.नि. 509 (अ), तारीख 15-6-1994, सा.का.नि. 270 (अ), तारीख 4-7-1996, सा.का.नि. 59 (अ), तारीख 4-2-1997, सा.का.नि. 719 (अ), तारीख 15-10-1999, सा.का.नि. 167 (अ), तारीख 29-2-2000, सा.का.नि. 513(अ), तारीख 9-7-2001, सा.का.नि. 787 (अ), तारीख 2-12-2002, सा.का.नि. 384, तारीख 22-10-2003 और सा.का.नि. 66 (अ), तारीख 15-2-2006 द्वारा संशोधित किए गए।

MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd February, 2010

G.S.R. 96 (E).— In exercise of the powers conferred by Section 30 of the Railway Claims Tribunal Act, 1987 (54 of 1987), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Railway Claims Tribunal (Procedure) Rules , 1989; namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Railway Claims Tribunal (Procedure) Amendment Rules, 2010.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Railway Claims Tribunal (Procedure) Rules, 1989 a new column 13 (A) (i) Bank Account Number of the claimant, (ii) Name of the Bank and Branch, (iii) Type of account in Form No. II, Part III under Rule 5 of Railway Claims Tribunal (Procedure) Rules, 1989 shall be inserted.

[F. No. 2007/TC (RCT)/1-6]

SUNIL KUMAR, Adviser, Public Grievances

Foot Note:—The principal rules were published *vide* number G.S.R. 842(E), dated the 19-9-1989 and subsequently amended by G.S.R. 700(E), dated 26-11-1991, G.S.R. 438 (E), dated 21-4-1992, G.S.R. 509(E), dated 15-6-1994, G.S.R. 270(E), dated 4-7-1996, G.S.R. 59(E), dated 4-2-1997, G.S.R. 719(E), dated 15-10-1999, G.S.R. 167(E), dated 29-2-2000, G.S.R. 513(E), dated 9-7-2001, G.S.R. 787(E), dated 2-12-2002, G.S.R. 384, dated 22-10-2003 and G.S.R. 66(E), dated 15-2-2006.

IndiaCode

691 GI/2010

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.